परिपत्र

विश्वा :— जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में

जैसा कि विविध है कि राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण—पत्र जारी करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील पिटिशन संख्या 5854/1994 कुमारी माधुरी पाटिल बनाम महाराष्ट्र सरकार एवं राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर सिविल पिटिशन संख्या 15574/2013 व अन्य प्रक्रिया में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों की अनुपालना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को उक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में समस्त जिला कलेक्टर्स एवं सक्षम अधिकारियों को समय—समय पर विभिन्न पत्र/परिपत्र एवं दिशा निर्देश संख्या 54159 दिनांक 09.09.2015 एवं क्रमांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये थे। उक्त पत्र/परिपत्र एवं दिशा निर्देशों के अनुसार में ही नियमानुसार भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में अधिसूचित की गयी जातियों की वर्तमानी (Spelling) के अनुसार ही आवेदकों की वास्तविक जाति का परीक्षण एवं जाँच पद्धति पर चयन ही सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ जिलों में जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकृत प्राधिकृत कों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के समय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संबंध में समय पर जारी किये गये विभिन्न पत्र/परिपत्र एवं दिशा निर्देशों की अनुपालना दीक्षी तरह से नहीं की जा रही है एवं अधिसूचनाओं में वर्णित जाति की वर्तमानी (Spelling) का दीक्षी प्रकार से अवलोकन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण वुडविक के किसी व्यक्तियों को गलत जाति प्रमाण पत्र जारी हो सकते हैं, विशेषतः से जाति या समुदाय के नाम में ‘ध्वनितत्व समानता’ (Phonetic similarity) होने के कारण अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति के तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की शिकायतें दायर हुई हैं। जिसके संबंध में जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले समस्त सक्षम प्राधिकृत द्वारा निर्देशित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकृत द्वारा उक्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व आवेदक की जाति की भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संबंध में वर्तमान समय पर जारी की गयी अधिसूचनाओं में अंकित
साथ ही शक्तिपद एवं बुझे जाति प्रमाण पत्र की विकासयोग्यता का निर्धारण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 6(10) प्र.सु. / अनु. 3/2011 दिनांक 23.07.2015 द्वारा प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अधिकार में जिला स्तरीय छानबीन एवं सर्वकालिक समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति में दर्ज समस्त प्रकरणों का निर्धारण समयावधि में निर्णय किया जाए।

(अशोक जैन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक—एक 11/SC ST OBC SBC/पार्ट—ii /जा.प्र.प./सामाजिक/12/

307864-6500 300613

(डॉ. समिति शामी)
नितेशचंद्र पैंत विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालावाड़

जमगन हेल्काउंट- 07432-230645.
07432-230646

फोन नं. 07432-230403, पैकेट नं. -230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक/9223/न्याय/17
dिनांक- 11/07/2017

छाया प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1-उपखंड मजिस्ट्रेट जालावाड़/भवानीमंडी/गंगधर/पिड़िया/असनावर/खानपुर/
आकलेशा/मध्याना

2-उप निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जालावाड़

3- तहसीलदार जालावाड़/पचरा/गंगधर/पिड़िया/असनावर/खानपुर/आकलेशा/
मध्याना

अंतिम जिला मजिस्ट्रेट